मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 3, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

भोपालवासियों को जल प्रदाय संबंधी श्री आरिफ अकील, सदस्य के प्रश्न संख्या-9 (क्रमांक 1869) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर, कांग्रेस पक्ष के कुछ सदस्यगण नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये तथा नेता प्रतिपक्ष की समझाइश एवं आसंदी के निर्देशानुसार वापस अपने आसनों पर गये। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में व्यवधान के कारण कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। पूर्वाह्न 11.13 बजे कार्यवाही स्थगित होकर 11.20 बजे पुनः समवेत हुई। तदुपरांत, प्रश्नोत्तर की कार्यवाही क्रमशः सम्पन्न हुई।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 111 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 99 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर शहर के मुक्तिधाम स्थित बाल शमशान गृह का सीमांकन नहीं होने,
(2) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य ने बालाघाट - नैनपुर मार्ग में पुलिया न होने तथा ग्रामीणों को मुआवजा न मिलने,
(3) श्री संजय पाठक, सदस्य ने कटनी जिले में बिना लाइसेंस के आटो रिक्शे संचालित होने से अपराध बढ़ने,
(4) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य ने मांधाता क्षेत्र के मोहना में पदस्थ चिकित्सक कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित रहने,
(5) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने होशंगाबाद निवासी दो व्यक्तियों की डम्पर दुर्घटना में मृत्यु होने,
(6) श्री जुगुल किशोर, सदस्य ने सतना जिले में कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य न करने,
(7) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर के पर्यटन स्थल पातालपानी में डूबने से पांच व्यक्तियों की मृत्यु होने,
(8) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य ने सनावद की इंदिरा सागर परियोजना के सहायक यंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने तथा
(9) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य ने प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुर्वेद चिकित्सकों की कमी होने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. ध्यानाकर्षण

(सर्वश्री बालाराम बच्चन, रामनिवास रावत, आरिफ अकील एवं पांचीलाल मेड़ा, सदस्यगण उनकी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा कराने की मांग करते हुए गर्भगृह में आये तथा अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर अपने आसनों पर वापस गये)

(1) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना में सतना जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र के ग्रामों में सिंचाई सुविधा हेतु नहर नहीं बनाये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामलखन सिंह के नेतृत्व में बसपा सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर जिले के ग्राम दलौदा चौपाटी स्थित हाई स्कूल के प्राचार्य द्वारा साईकल क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति ने दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-6)	श्री रामनिवास रावत	45 मिनट
2.	(क्रमांक-10)	श्री गोविन्द सिंह राजपूत	45 मिनट
3.	(क्रमांक-12)	श्री यादवेन्द्र सिंह	45 मिनट
4.	(क्रमांक-18)	श्री बृजमोहन धूत	15 मिनट

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के,
(2) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सतना जिले के,
(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के,
(4) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के,
(5) श्री राम किशोर कांवरे, सदस्य की बालाघाट जिले के,
(6) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले के,
(7) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल जिले के

विकास कार्यों संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

6. वर्ष 2011-12 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2011-12 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 31 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, लोक सेवा प्रबंधन ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 32 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में खाद-बीज की कमी, कालाबाजारी एवं नकली खाद-बीज व कीटनाशक की बिक्री के संबंध में दिनांक 22 एवं 23 नवम्बर, 2011 को हुई चर्चा का डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री तथा श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री ने उत्तर दिया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्यगण कृषि मंत्री द्वारा उद्धरित पत्रों को पटल पर रखने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा आसंदी के निर्देशानुसार वापस अपने आसनों पर गए)

(अपराह्न 12.58 से 3.04 बजे तक अन्तराल)

9. प्रतिवेदनों पर चर्चा

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह
(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(3) श्री के.पी. सिंह
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री पारस सकलेचा
(6) श्री ज्ञान सिंह
(7) श्री रामगरीब कोल

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(श्री बालाराम बच्चन के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के आदिवासी सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 4, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 24 नवम्बर, 2011